कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 46 दिनांक – 07–09–2026

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

मैं, विजयश्री रावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर (लिंक पीठासीन अधिकारी) एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक–Gen./XIX/Misc./2000/911/718 दिनांक–01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11–09–2026 को आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा रिमाण्ड, ज़मानत, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मर्ग जाँच एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य कार्यालय समय 11:00 ए.एम. से 01:30 पी.एम. तक अपने न्यायालय में उपस्थित होकर करने तथा उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन व धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करती हूँ :–

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय
01.	11–09–2026	सुश्री वर्षा सैनी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 10, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

नोट :– उपर्युक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे –

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय
01.	11–09–2026	श्रीमती हिरल मीणा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उस न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलज़िम को पेश किया जाना है। ज़मानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय ज़मानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट – (ए) प्रत्येक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उनके नाम से पूर्व कॉलम में अंकित दिनांक से पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उन्हीं अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में मुलज़िम को रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जाए व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपर्युक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी, न्यायालय रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी के रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जाएगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 1007 दिनांक – 07–09–2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु जरिए ई–मेल प्रेषित है :–

1. श्रीमान् ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, ज़िला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
7. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
8. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर आयुक्तालय।
9. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. सिस्टम ऑफिसर, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 10, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
12. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।